मथुरा पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

दिनांक - 19.12.2025 **OPERATION CONVICTION** थाना-नौहझील

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर अपराधों में लिप्त होकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रत्येक अभियुक्तगण को 09 वर्ष 06 माह का कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना नौहझील जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 327/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में आज दिनांक 19.12.2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण 1-बंकट पुत्र मलखान सिंह 2-रन्धीर पुत्र सोनपाल 3-प्रताप पुत्र राधेश्याम 4-कमषिीर पुत्र बंकट 5. केशव पुत्र मलखान 6-सियाराम पुत्र फूल सिंह 7-रामू पुत्र राजेन्द्र 8-राधेश्याम पुत्र फूल सिंह 9-सुरेश पुत्र राधेश्याम 10. श्याम पुत्र राजेन्द्र समस्त निवासीगण ग्राम सुहागपुर थाना नौहझील जनपद मथुरा प्रत्येक को 09 वर्ष 06 माह का कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना क्रम--- अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा द्वारा गिरोह बनाकर अपराधों में लिप्त होकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त किया गया जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24.11.2014 को थाना नौहझील पर मु0अ0सं0 327/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस जघन्य अपराध में भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

IO- ललित कुमार त्यागी

तत्कालीन थाना प्रभारी नौहझील

वि0लो0अ0 गैंगस्टर एक्ट

श्री शैलैन्द्र कुमार गौतम

पैरोकार- है0 का0 विनेश कुमार थाना नौहझील